प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम
एवं जिला कलक्टर उदयपुर
निर्णय द्वारा अध्यासित नमित मेहता आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः 107/2025 (अपील सूचना का अधिकार)

देवनारायण मीणा पुत्र रामकुमार मीणा पताः जी–4, जय श्रीराम अपार्टमेंट, सेक्टर–14, हिरण मगरी, उदयपुर

..............अपीलार्थी

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार ऋषभदेव, उदयपुर

..................प्रत्यर्थी

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 26/8/25

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील प्रस्तुत कर प्रत्यर्थी के कार्यालय में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा (6)(1) के अन्तर्गत दिनांक 30.05.2025, 01.06.2025 एवं 24.06.2025 को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सूचना चाही गई थी जिसमें प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने से असंतुष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु जरिये पत्रांक रीडर/सू.अ./प्रथम अपील/107/25/726–27 दिनांक 18.07.2025 से प्रत्यर्थी को लिखा गया। प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब शामिल पत्रावली किया गया।

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार ऋषभदेव द्वारा जरिये पत्रांकः 2025/838 दिनांक 11.08.2025 से न्यायालय को प्रत्युत्तर प्रस्तुत कर अवगत कराया गया कि प्रार्थी द्वारा आरटीआई पोर्टल पर आवेदन कर कार्यालय से सूचना चाही गई थी। आवेदन क्रमांक 32950892565360 के बिन्दु संख्या 3 सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर(प्रशा.) से संबंधित होने से श्रीमान को एवं प्रार्थी को पत्रांक 567–567 a,b दिनांक 25.06.2025 से जरिये रजिस्टर्ड डाक भेजा गया एवं कार्यालय के पत्रांक 570 दिनांक 25.05.2025 से प्रार्थी को उक्त सूचना तैयार कर नियमानुसार 2 रुपये प्रति पेज के हिसाब से कुल 5 पेज का शूल्क 10 रुपये कार्यालय के बटज मद संख्या में जमा करने हेतु रजिस्टर्ड डाक से पत्र भेजा गया। साथ ही आरटीआई पोर्टल पर भी सूचना दी गई। आवेदन क्रमांक 32917648762649 एवं 329273122347791 के क्रम में प्रार्थी को आरटीआई पोर्टल से fee intimation भेजा गया। परन्तु प्रार्थी द्वारा आदिनांक तक शूल्क जमा नहीं कराया गया। अतः प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराई जा सकी। प्रार्थी द्वारा शूल्क जमा कराये जाने पर प्रार्थी को सूचना उपलब्ध करवा दी जायेगी।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार ऋषभदेव द्वारा प्रस्तुत जवाब जरिये पत्रांक 838 दिनांक

जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपील अधिकारी
उदयपुर

11.08.2025 से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी द्वारा नियमानुसार अपीलार्थी को सूचना से संबंधित वांछित शूल्क जमा कराने हेतु लिखा गया। अपीलार्थी द्वारा राशि जमा नहीं कराये जाने से सूचना उपलब्ध नहीं करवाई जा सकी। सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार ऋषभदेव द्वारा न्यायालय में प्रेषित जवाब के विपरीत अपीलार्थी की ओर से किसी प्रकार की आपत्ति/प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है। ना ही अपीलार्थी सुनवाई के दौरान उपस्थित हुए है। ऐसी स्थिति में यह माना जाना उचित होगा कि वह प्रत्यर्थी के जवाब से संतुष्ट है।

अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। अपीलार्थी को चाहिए कि वह वांछित सूचना के संबंध में सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार ऋषभदेव के कार्यालय में निर्धारित शूल्क जमा करा सूचना प्राप्त करें।

निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावें। प्रकरण फैसल शुमार हो। बाद कार्यवाही दफ्तर दाखिल हों।

निर्णय आज दिनांक 26/8/25 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर, उदयपुर

(नमित मेहता)
प्रथम अपील अधिकारी,
सूचना का अधिकार अधि.
एवं जिला कलक्टर, उदयपुर